(पिम नियमावली का अंश)

सींच अंकन की प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन नियमावली, 2010 के नियम–26 के अन्तर्गत नहर कमाण्ड में नहर के जल से की गई सिंचाई का सींच अंकन निम्नानुसार किया जाएगाः–

108. कृषक पंजिकाः–सींच अंकन के उपयोगार्थ कमाण्ड के कृषकों की सूचना हेतु कृषक पंजिका का अनुरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा–

(1) कुलाबा समिति द्वारा कुलाबा कमाण्ड के कृषकों की सूचना रखने हेतु कुलाबा कृषक पंजिका **(परिशिष्ट–20)** में अनुरक्षित रखा जाएगा।

(2) अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति द्वारा अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका से सम्बद्ध समस्त कुलाबों के कृषकों की सूचना रखने हेतु अल्पिका कृषक पंजिका अनुरक्षित रखी जाएगी।

(3) सक्षम नहर अधिकारी द्वारा प्रथम बार कृषक पंजिका हेतु आवश्यक सूचना पंजिका में अंकित करवाकर कृषक पंजिका अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति को दिया जाएगा।

(4) सक्षम नहर अधिकारी द्वारा सींच अंकन हेतु कुलाबा कमाण्ड मानचित्र (सजरा, रूमाल आदि) की दो प्रतियों में अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति को उपलब्ध कराया जाएगा। एक प्रति का उपयोग अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति द्वारा तथा दूसरी प्रति का उपयोग सम्बन्धित कुलाबा समिति द्वारा किया जाएगा।

109. सींच अंकन :–सींच अंकन में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगीः–

(1) कुलाबा समिति के अध्यक्ष या सचिव अथवा अध्यक्ष द्वारा अधिकृत कुलाबा समिति के किसी सदस्य द्वारा प्रत्येक सप्ताह सींच अंकन का कार्य किया जाएगा। कुलाबा समिति के अध्यक्ष द्वारा साप्ताहिक सींच अंकित कर विवरण अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति को जमा कर दी जाएगी। सींच अंकन का कार्य **(परिशिष्ट–21क)** पर किया जाएगा।

(2) अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति द्वारा आवश्यकतानुसार सींच अंकन में कुलाबा समिति की सहायता हेतु किसी अन्य व्यक्ति को भी अधिकृत कर सकती है। जिसकी सूचना **परिशिष्ट–24** पर नियुक्ति की तिथि से 15 दिन के अन्दर सक्षम नहर अधिकारी को दी जाएगी।

(3) सींच अंकन करने वाले सदस्य/व्यक्ति को अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति की प्रबन्धन समिति द्वारा निर्धारित मानदेय भी दिया जा सकता है।

(4) किसी कृषक द्वारा जितनी बार जल का उपयोग किया जाएगा उसका अंकन उतनी बार किया जाएगा।

(5) कुलाबा समिति को सींच अंकन हेतु सींच अंकन प्रपत्र अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समितिद्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

(6) सींचपाल द्वारा भी सिंचाई की प्रगति के साथ सींच अंकन किया जाएगा।

110. अंकित सींच का मिलानः—कुलाबा समिति द्वारा अंकित सींच एवं सींचपाल द्वारा अंकित सींच का मिलान निम्नानुसार किया जाएगाः—

(1) सींचपाल स्वयं द्वारा अंकित सींच तथा अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समितिके पास उपलब्ध कुलाबा समिति द्वारा अंकित सींच का मिलान अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति की प्रबन्धन समिति की बैठक में करेगा तथा मिलान का विवरण **परिशिष्ट–22** में तैयार करेगा।

(2) कुलाबा समिति द्वारा अंकित सींच एवं सींचपाल द्वारा अंकित सींच में किसी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति की प्रबधन्धन समिति को प्रस्तुत की जाएगी। प्रबन्धन समिति द्वारा विसंगति का समाधान किया जाएगा एवं विवरण **परिशिष्ट–22** में अंकित किया जाएगा।

(3) अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति एवं सींचपाल के मध्य सींच अंकन से सम्बन्धित उत्पन्न किसी विवाद का समाधान सक्षम नहर अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो अन्तिम होगा तथा इसका विवरण **परिशिष्ट–22** पर अंकित किया जाएगा।

(4) अल्पिका समिति द्वारा अन्तिम सींच का विवरण **परिशिष्ट–23** पर तैयार कर कुलाबा समिति के माध्यम से सार्वजनिक किया जाएगा।

111. अपत्तियाँ प्राप्त करना तथा सींच का अन्तिमीकरणः—

(1) अल्पिका समिति द्वारा **परिशिष्ट–23/23क** के प्रपत्र पर कृषकों से आपत्ति प्राप्त की जाएगी। इस हेतु अल्पिका समिति द्वारा सम्बन्धित कुलाबा समिति को **परिशिष्ट–23/23क** के प्रपत्र की प्रति उपलब्ध कराने के साथ पंचायत भवन तथा

अपने कार्यालय पर चस्पा की जाएगी। आपत्ति प्राप्त करने हेतु 7 दिन का समय दिया जाएगा।

(2) अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति की सिंचाई प्रबन्धन उपसमिति द्वारा आपत्तियों की जाँच की जाएगी। जाँच पर अन्तिम निर्णय प्रबन्धन समिति द्वारा लिया जाएगा एवं तदुनुसार **परिशिष्ट–23/23क** के प्रपत्र में यथावश्यक संशोधन किया जाएगा, जिसकी सूची अलग से तैयार की जाएगी।

(3) **परिशिष्ट–23/23क** के प्रपत्र तथा संशोधित सूची पर अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति के अध्यक्ष एवं सींचपाल द्वारा हस्ताक्षर कर उपराजस्व अधिकारी/जिलेदार को जमाबन्दी तैयार करने हेतु जमा की जाएगी। संशोधित **परिशिष्ट–23/23क** के प्रपत्र तथा संशोधित सूची की एक प्रति अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति के सचिव के पास सुरक्षित रहेगी।

(4) अधिशासी अभियन्ता/उपराजस्व अधिकारी द्वारा जमाबन्दी तैयार कराई जाएगी।

(5) खरीफ फसल की सींच का संशोधित **परिशिष्ट–23/23क** के प्रपत्र अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति द्वारा 15 नवम्बर तक उपराजस्व अधिकारी/जिलेदार को जमा कर दिया जाएगा।

(6) रवी फसल की सींच का संशोधित **परिशिष्ट–23/23क** के प्रपत्र अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति द्वारा 15 अप्रैल तक उपराजस्व अधिकारी/जिलेदार को जमा कर दिया जाएगा।

जल शुल्क वसूली की प्रक्रिया

112. उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन नियमावली, 2010 के नियम–27 के अन्तर्गत जल शुल्क की वसूली में निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी–

(क) अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति द्वारा जल शुल्क वसूली

(1) अधिशासी अभियन्ता द्वारा अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका वार जमाबन्दी **परिशिष्ट–57/57क** के प्रपत्र पर तैयार कराकर सम्बन्धित अल्पिका अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति को उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) **परिशिष्ट–57/57क** के प्रपत्र में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर उसका सुधार संशोधित **परिशिष्ट–23/23क** के प्रपत्र के आधार पर किया जाएगा।

(3) अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति द्वारा जमाबन्दी के अनुसार जल शुल्क आदि की वसूली की जाएगी। वसूली हेतु उप–राजस्व अधिकारी द्वारा वसूली **(परिशिष्ट–58)** अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति को उपलबध कराई जाएगी जो अधिशासी अभियन्ता/उप–राजस्व अधिकारी द्वारा प्रमाणित होगी।

(4) वसूली रसीद के लेखा–जोखा हेतु उप–राजस्व अधिकारी द्वारा एक वसूली रसीद पंजिका अनुरक्षित की जाएगी, जिसमें निर्गत की गई वसूली रसीद का विवरण अंकित किया जाएगा। रसीद बुक में न्यूनतम 100 प्रतियाँ होनी चाहिए तथा रसीद बुक पर रसीद बुक संख्या बढ़ते क्रम में मुद्रित होगी। रसीद बुक के पृष्ठों की संख्या भी बढ़ते क्रम में होगी। उदाहरणार्थ–प्रथम रसीद बुक के प्रथम पृष्ठ की संख्या 1/1 तथा अन्तिम पृष्ठ संख्या 1/100 होगी। द्वितीय रसीद बुक के प्रथम पृष्ठ की संख्या 2/101 तथा अन्तिम पृष्ठ की संख्या 2/200 होगी। इसी प्रकार अन्य रसीद बुक के पृष्ठों पर पृष्ठ संख्या मुद्रित होगी।

(5) अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति द्वारा वसूली हेतु किसी व्यक्ति को अधिकृत/नियुक्त किया जा सकता है। अधिकृत व्यक्ति की सूचना **परिशिष्ट–59** पर सक्षम नहर अधिकारी को नियुक्ति की तिथि से अधिकतम 15 दिन में दी जाएगी।

(6) वसूली हेतु कुलाबा समिति के सदस्यों अथवा अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति के किसी सदस्य/सदस्यों को नामित किया जा सकता है।

(7) अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका की प्रबन्धन समिति द्वारा वसूली हेतु निर्धारित व्यक्ति/सदस्य को दैनिक मानदेय का निर्धारण किया जा सकता है।

(8) अधिकृत/नियुक्त व्यक्ति/सदस्य द्वारा वसूल की गई धनराशि रसीद बुक के प्रतिपर्ण के साथ अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका के कोषाध्यक्ष के पास जमा की जाएगी।

(9) कोषाध्यक्ष द्वारा रसीद बुक **(परिशिष्ट–58)** का लेखा–जोखा रखा जाएगा।

(10) अधिकृत/नियुक्त व्यक्ति/सदस्य द्वारा जल शुल्क की वसूली हेतु प्रपत्र–9 निर्गत करेंगा। कृषक द्वारा जल शुल्क किसी भी समय अधिकृत/नियुक्त व्यक्ति/सदस्य अथवा कोषाध्यक्ष को जमा किया जा सकता है।

(11) कोषाध्यक्ष द्वारा उन कृषकों की सूची कार्यालय एवं पंचायत भवन पर चस्पा की जाएगी जिनके द्वारा जल शुल्क जमा नहीं किया गया है। किसी प्रकार की शिकायत का निवारण अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति द्वारा किया जाएगा।

(ख) सक्षम नहर अधिकारी द्वारा जल शुल्क की वसूलीः–

(1) सक्षम नहर अधिकारी द्वारा समय–समय पर कोषाध्यक्ष के पास एकत्रित जल शुल्क की धनराशि वसूल की जाएगी तथा फार्म–R **(परिशिष्ट–60)** निर्गत किया जाएगा। फार्म–R की प्रति सक्षम नहर अधिकारी एवं कोषाध्यक्ष दोनों द्वारा सुरक्षित रखी जाएगी।

(2) सक्षम नहर अधिकारी द्वारा एकत्रित धनराशि फार्म R की प्रति सहित खण्डीय अधिकारी को प्रेषित की जाएगी। खण्डीय अधिकारी द्वारा जल शुल्क की धनराशि अविलम्ब बैंक अथवा ट्रेजरी में जमा कराई जाएगी।

(3) खण्डीय अधिकारी द्वारा प्रत्येक फसल के अन्त में जल शुल्क जमा करने वाले कृषकों की सूची खण्डीय कार्यालय एवं पंचायत भवन तथा समिति के कार्यालय पर चस्पा की जाएगी। किसी प्रकार की शिकायत का निराकरण सक्षम नहर अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(4) खण्डीय अधिकारी द्वारा उन कृषकों की सूची, जिनके द्वारा जल शुल्क आदि जमा नही किया गया है, जिलाधिकारी को वसूली हेतु उपलब्ध कराई जाएगी।

(5) जिलाधिकारी द्वारा शुल्क की बकाया राशि, अनाधिकृत जल उपयोग तथा जल बर्बादी हेतु आरोपित दण्ड की धनराशि की वसूली की जाएगी। जिलाधिकारी द्वारा वसूल की गई धनराशि सरकारी खजाने में जमा की जाएगी तथा उसका विवरण खण्डीय अधिकारी को उलपब्ध कराया जाएगा।

(ग) वसूली हेतु तिथियों का निर्धारणः–

(1) खण्डीय अधिकारी खरीफ फसल सीजन की जमाबन्दी सम्बन्धित अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति को 01 दिसम्बर तक उपलब्ध कराएंगे।

(2) खण्डीय अधिकारी रबी फसल सीजन की जमाबन्दी सम्बन्धित अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति को 01 मई तक उपलब्ध कराएंगे।

(3) अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति द्वारा जल शुल्क वसूली माह फरवरी तक कर ली जाएगी। माह फरवरी के पश्चात् वसूली की समस्त सूचना माह मार्च के प्रथम सप्ताह में खण्डीय अधिकारी को उपलब्ध करा दी जाएगी।

(4) खण्डीय अधिकारी द्वारा एक सप्ताह के अन्तर्गत वसूली विवरण जिलाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा।

(घ) वसूली में अनियमितता पर कार्यवाहीः–

(1) रजवहा समिति, अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति तथा कुलाबा समिति द्वारा बकाए–दारों पर बकाया जमा करने हेतु सामाजिक दबाव बनाया जाएगा।

(2) वसूली हेतु नियुक्त/अधिकृत व्यक्ति/सदस्य अथवा कोषाध्यक्ष द्वारा वसूल की गई धनराशि से सम्बन्धित कोई अनियमितता किए जाने पर उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

नोटः–*जल उपभोक्ता समिति/सक्षम नहर अधिकारी द्वारा जल शुल्क की वसूली राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर लिए गए निर्णयों के अनुसार ही की जाएगी।*

जल वितरण की प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन नियमावली के नियम'25 के अन्तर्गत कुलाबा से खेतों में जल वितरण की रूपरेखा, क्रियान्वयन, विनियमन एवं अनुश्रवण निम्नानुसार किया जाएगां

113. जल वितरण की रूपरेखा तैयार करनाः– जल वितरण (वारबन्दी) की रूपरेखा निम्नलिखित सिद्वान्तों के आधार पर तैयार की जाएगी–

(1) कुलाबा कमाण्ड में कृषि योग्य भूमि के प्रति हेक्टेयर हेतु जल उपलब्धता के समय की गणना सप्ताह के 168 घण्टे में से 2 घण्टे छोड़कर कुल 166 घण्टे में कुलाबा कमाण्ड के कुल कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से भाग कर प्राप्त की जाएगी।

(2) किसी खेत की सींच का समय उस खेत के क्षेत्रफल का उक्त प्रस्तर–113(1) में प्राप्त मान से गुणा कर निर्धारित किया जाएगा।

(3) कुलाबा से प्राप्त जल के वितरण हेतु भू–खण्डों का क्रम कुलाबा समिति द्वारा निर्धारित किया जाएगा। यह क्रम शीर्ष से टेल की तरफ अथवा टेल से हेड की तरफ अथवा एक फसल सीजन से हेड से टेल की तरफ एवं दूसरे फसल सीजन में टेल से हेड की तरफ निर्धारित किया जा सकता हैं

(4) कुलाबा के शीर्ष से बराबर दूरी के खेतों में बाएं खेत को क्रम निर्धारण में वरीयता की जाएगी।

(5) प्रस्तर–113(2) के अनुसार निर्धारित सींच का समय भू–धारकों द्वारा कुलाबा समिति की सहमति से आपस में हस्तांतरित किया जा सकता है। इस हेतु वारबन्दी बनाने से पूर्व कृषकों के मध्य सहमति बना लेनी चाहिए।

(6) सिंचाई विभाग द्वारा यथा सम्भव तकनीकी के प्रयोग से फसलवार वारबन्दी तैयार करने में कुलाबा/अल्पिका समिति की सहायता की जाएगी।

114. जल वितरण (वारबन्दी) तैयार करने की प्रक्रियाः– प्रस्तर–113 में वर्णित सिद्वान्तों के आधार पर वारबन्दी तैयार करने में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी–

(1) वारबन्दी का विवरण **(परिशिष्ट–25)** पर कुलाबा समिति की प्रबन्धन समिति द्वारा तैयार किया जाएगा।

(2) कुलाबा समिति की सामान्य सभा द्वारा **परिशिष्ट–25** के प्रपत्र में तैयार वारबन्दी का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। सामान्य सभा द्वारा वाँछित किसी संशोधन पर प्रबन्धन समिति द्वारा संशोधन किया जाएगा।

(3) कुलाबा समिति की सामान्य से अनुमोदित वारबन्दी सत्यापन हेतु सम्बन्धित अलिपका/फेडरेटेड अल्पिका समिति को प्रस्तुत की जाएगी।

(4) अलिपका/फेडरेटेड अल्पिका समिति द्वारा सत्यापित वारबन्दी अलिपका/फेडरेटेड अल्पिका समिति द्वारा खण्डीय अधिकारी को प्रेषित की जाएगी।

(5) खण्डीय अधिकारी सत्यापित वारबन्दी की जाँच कर त्रुटियाँ, यदि कोई हो, को दूर कर वारबन्दी अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति को वापस कर देगा।

(6) खण्डीय अधिकारी से प्राप्त वारबन्दी के अनुसार जल का वितरण कुलाबा समिति द्वारा किया जाएगा।

115. वारबन्दी का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण :–

(1) कुलाबा कमाण्ड के उप–कमाण्ड के सदस्य कुलाबा उप–कमाण्ड में वारबन्दी के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु उत्तरदायी होंगे।

(2) कुलाबा समिति के सचिव एवं अध्यक्ष, कुलाबा कमाण्ड में वारबन्दी के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु उत्तरदायी होंगे।

(3) अल्पिका की पहुंच के सदस्य सम्बन्धित पहुंच में वारबन्दी के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु उत्तरदायी होंगे।

(4) अल्पिका समिति के अध्यक्ष व सचिव अल्पिका कमाण्ड में वारबन्दी के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु उत्तरदायी होंगे।

(5) रजबहा कमाण्ड में वारबन्दी के अनुश्रवण के लिए रजबहा समिति उत्तरदायी होगी।

(6) अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति वारबन्दी के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु किसी व्यक्ति/कुलाबा समिति के सदस्य को अधिकृत कर सकती है। अधिकृत व्यक्ति हेतु अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति द्वारा दैनिक मानदेय का निर्धारण भी किया जा सकता है।

जल बजट, जल लेखा, जल प्रयोग प्रास्थिति एवं वार्षिक/फसली रिपोर्ट

119. **जल बजट एवं जल लेखाः–** उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन नियमावली, 2010 के नियम–15 के अनुसार जल उपभोक्ता समितियों द्वारा जल बजट एवं जल लेखा तैयार करने में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी–

कुलाबा समितिः–

(1) जल बजट एवं जल लेखा **परिशिष्ट–62** के प्रपत्र में तैयार करेगी।

(2) कुलाबा समिति खरीफ अथवा रबी फसल से एक माह पूर्व अनुमानित रोस्टर तथा कुलाबा निस्तारण के आधार पर जल उपलब्धता का आंकलन करेगी और समस्त भू–स्वामियों हेतु जलावंटन का आंकलन करेगी।

(3) प्रत्येक फसल मौसम की समाप्ति पर कुलाबा समिति मौसम में प्राप्त जल एवम् सिंचित क्षेत्र तथा अन्य स्रोतों से आपूर्त जल की मात्रा का विवरण तैयार करेगी।

अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समितिः–

(1) अल्पिका समिति द्वारा जल बजट व जल लेखा क्रमशः **परिशिष्ट–63, 64 एवं 65** के प्रपत्रों में तैयार किया जाएगा।

(2) अल्पिका समिति खरीफ अथवा रबी फसल से तीन सप्ताह पूर्व अनुमानित रोस्टर तथा अल्पिका निस्तारण के आधार पर जल उपलब्धता का आंकलन करेगी और समस्त कुलाबों हेतु जलावंटन का आंकलन करेगी।

(3) प्रत्येक फसल मौसम की समाप्ति पर अल्पिका समिति, मौसम में प्राप्त जल एवं सिंचित क्षेत्र तथा अन्य स्रोतों से आपूर्त जल की मात्रा का एक प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा।

रजबहा समितिः–

(1) रजबहा समिति द्वारा जल बजट एवम् तत्सम्बन्धी जललेखा क्रमशः **परिशिष्ट–66, 67 एवं 68** के प्रपत्रों में तैयार किया जाएगा।

(2) रजबहा. समिति खरीफ अथवा रबी फसल से 15 दिवस पूर्व अनुमानित रोस्टर तथा रजबहा निस्तारण के आधार पर जल उपलब्धता का आंकलन करेगी और समस्त अल्पिकाओं/फेडरेटेड अल्पिकाओं हेतु जलावंटन का आंकलन करेगी।

(3) प्रत्येक फसल मौसम की समाप्ति पर रजबहा समिति, मौसम में प्राप्त जल एवं सिंचित क्षेत्र तथा अन्य स्रोतों से आपूर्त जल की मात्रा का एक प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा।

120. जल प्रयोग प्रास्थिति (Status):—अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका तथा रजबहा समिति/फेडरेटेड रजबहा समिति द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में जल उपयोग की प्रास्थिति का विवरण फसलवार तैयार किया जाएगा। प्रास्थिति रिपोर्ट सक्षम नहर अधिकारी द्वारा तैयार कराई जाएगी। प्रत्येक फसल सीजन से पूर्व प्रबन्धन समिति द्वारा सामान्य सभा की बैठक में गत फसल सीजन की जल उपयोग प्रास्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जिसका उपयोग रोस्टर तैयार करने में किया जाएगा। जल उपयोग प्रास्थिति रिपोर्ट में निम्नलिखित बिन्दु अवश्य समाहित किए जाएंगे—

(1) पूरे फसल सीजन में नहर के शीर्ष पर प्राप्त हाने वाले जल की कुल मात्रा का विवरण; **(परिशिष्ट–74)**

(2) फसल सीजन में कुल की गई सींच का विवरण; **(परिशिष्ट–75)**

(3) नहर के शीर्ष पर प्राप्त जल एवं कमाण्ड में उपयोग जल की मात्रा में अन्तर तथा गत फसल सीजन से तुलनात्मक विवरण; **(परिशिष्ट–74)**

(4) गत वर्ष की फसल सीजन के सापेक्ष वर्तमान फसल सीजन की सींच में वृद्धि; **(परिशिष्ट–75)**

(5) शीर्ष, मध्य एवं टेल भाग की सींच का विवरण; **(परिशिष्ट–75)**

(6) गत वर्ष की फसल सीजन से वर्तमान फसल सीजन की शीर्ष, मध्य एवं टेलवार तुलनात्मक विवरण **(परिशिष्ट–75)**।

121. जल उपभोक्ता समिति की वार्षिक/फसली रिपोर्ट:—अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति तथा रजबहा समिति/फेडरेटेड रजबहा समिति द्वारा गत फसल सीजन में प्रबन्धन समिति द्वारा किए गए कार्यों की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। रिपोर्ट सक्षम नहर अधिकारी के सहयोग से जल उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष द्वारा तैयार की जाएगी तथा सामान्य सभा के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। रिपोर्ट में निम्नलिखित बिन्दु अवश्य समाहित किए जाएंगे—

- नहर पर कराए गए कार्यों का विवरण तथा किया गया व्यय **(परिशिष्ट–76);**

- जल उपयोग प्रास्थिति रिपोर्ट **(परिशिष्ट–74)**;
- अनाधिकृत जल उपयोग पर नियन्त्रण की स्थिति **(परिशिष्ट–77)**;
- वित्तीय स्थिति **(परिशिष्ट–78)**;
- जल शुल्क वसूली की स्थिति **(परिशिष्ट–79)**;
- नहर अपराध पर नियन्त्रण की स्थिति **(परिशिष्ट–80)**;
- अन्य।

122. **नहर ऑकड़ा पंजिकाः**–अल्पिका एवं रजबहा समिति द्वारा एक नहर ऑकड़ा पंजिका अनुरक्षित की जाएगी। नहर ऑकड़ा पंजिका हेतु आवश्यक सूचनाएं सक्षम नहर अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। नहर ऑकड़ा पंजिका का प्रारूप **परिशिष्ट–81** के अनुसार होगा।

नहर अपराध, नहर अपराध की जाँच एवं दण्ड

91. नहर अपराध—उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, 2009 की धारा–33(1) के अन्तर्गत नहर अपराध निम्नवत् है–

(1) किसी नहर अथवा जल निकास नाली को तोड़ना, नुकसान पहुँचाना, उसके सेक्सन के साथ छेड़–छाड़ करके उसे बढ़ाना या कम करना अथवा बाधित करना;

(2) किसी नहर अथवा जल निकासी मार्ग में/के आधीन/के ऊपर/के नीचे/से जल प्रवाह अथवा जलापूर्ति के साथ हस्तक्षेप करना अथवा जलापूर्ति में वृद्धि अथवा कमी करना अर्थात् बंधा लगाना, पानी के लिए नहर काटना, अनाधिकृत कुलाबा लगाकर पानी लेना, तोड़ रीच में पम्पिंग से पानी लेना, स्वीकृत कुलाबों की साईज को बढ़ाना अथवा घटाना आदि;

(3) सिंचाई प्रणाली के कार्यवाही क्षेत्र के बाहर समुचित प्राधिकार के बिना जल का उपयोग करना;

(4) जल की बर्बादी को रोकने के लिए समुचित सावधानी लेने में उपेक्षा करना या उससे जल के प्राधिकृत वितरण के साथ हस्तक्षेप करना या ऐसे जल का अनाधिकृत रूप से उपयोग करना;

(5) किसी नहर के जल को विकृत या मिलावट करना, जिससे वह उस सिंचाई के लिए (प्रयोजनार्थ, जिसके लिए उसका सामान्य उपयोग किया जाता है,) कम उपयोगी हो जाए;

(6) लोक सेवक अथवा जल उपभोक्ता समिति के प्राधिकार द्वारा निश्चित किए गए वाटर गेज या किसी तल चिन्हों को नष्ट करना अथवा हटाना (ऊँचा–नीचा करना);

(7) किसी नहर या जल निकासी मार्ग के किनारे या किनारों या उसकी किसी संरचना के आर–पार जानवर या कोई वाहन नियमों के प्रतिकूल, जब उसे इससे दूर रहने की इच्छा की गई है, पार करता है, पार कराता है सिवाय उन स्थानों के जहाँ पशु घाट की व्यवस्था की गई हो अथवा इसके लिए सड़क बनाई गई हो;

(8) अनुसूचित सिंचाई सारिणी के क्रियान्वयन में बाधा डालना;

(9) नहर अथवा जल निकासी मार्ग पर अतिक्रमण अथवा नहरी परिसम्पत्तियों अथवा शासकीय सम्पत्ति को क्षति पहुंचाना;

(10) इस अधिनियम के उपबन्धों तथा तद्धीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन करना।

92. अपराधी– नहर अपराध करने वाले अपराधी निम्नलिखित हो सकते हैं–

(1) कोई कृषक/व्यक्ति;

(2) यदि कोई अपराध किसी कम्पनी अथवा सोसाइटी द्वारा किया गया हो तो उस कम्पनी/ सोसाइटी/संस्था का प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध घटित होने के समय का प्रभारी हो, तथा कम्पनी/सोसाइटी/संस्था दोनों;

(3) यदि कोई नहर अपराध जल उपभोक्ता समिति की प्रबन्धन समिति के किसी सदस्य/पदाधिकारी द्वारा किया गया हो तो वह सदस्य/पदाधिकारी;

(4) यदि नहर अपराध किसी जल उपभोक्ता समिति द्वारा किया गया हो तो वह जल उपभोक्ता समिति;

93. नहर अपराधों की जाँच–

(1) जाँच संस्था–अधिनियम की धारा–34(1) के अन्तर्गत नहर अपराधों की जाँच हेतु सक्षम जाँच संस्था निम्नवत् होगी–

(क) कुलाबा कमाण्ड में घटित अपराध हेतु यथास्थिति अल्पिका समिति/फेडरेटेड अल्पिका समिति की प्रबन्धन समिति सक्षम जाँच संस्था होगी;

(ख) अल्पिका अथवा अल्पिका कमाण्ड में एक से अधिक कुलाबों को प्रभावित करने वाली संरचना पर घटित अपराध हेतु रजवहा समिति की प्रबन्धन समिति सक्षम जाँच संस्था होगी;

(ग) रजबहा अथवा रजबहा कमाण्ड में एक से अधिक अल्पिका कमाण्ड को प्रभावित करने वाली संरचना पर घटित अपराध हेतु शाखा समिति की प्रबन्धन समिति सक्षम जाँच संस्था होगी;

(घ) किसी सक्षम जाँच संस्था के न होने की स्थिति में सक्षम जाँच संस्था का कार्य सम्बन्धित सक्षम नहर अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(2) जाँच का प्रारम्भ–

(क) सक्षम जाँच संस्था द्वारा नहर अपराध की सूचना मिलते ही जाँच प्रारम्भ कर दी जाएगी;

(ख) पुलिस अधिकारियों/राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों, जल उपभोक्त समिति के सदस्यों तथा उपभोक्ता समिति की प्रबन्धन समिति के सदस्यों का यह दायित्व होगा कि नहर अपराध घटित होने अथवा घटित होने की आशंका का संज्ञान होते ही तत्काल सक्षम जाँच संस्था के पदाधिकारी अथवा सक्षम नहर अधिकारी को इसकी सूचना दें तथा सक्षम जाँच संस्था के कार्य में सहयोग दें;

(ग) सिंचाई विभाग के सींचपाल, सींच पर्यवेक्षक, जिलेदार, अवर अभियन्ता तथा फील्ड स्टाफ का यह दायित्व होगा कि नहर अपराध घटित होने अथवा घटित होने की आशंका होने पर इसकी सूचना तत्काल सक्षम जाँच संस्था तथा सक्षम नहर अधिकारी को देंगे तथा जाँच कार्य में सक्षम जाँच संस्था को सम्यक् सहयोग देंगे।

(घ) जिलेदार एवं सक्षम जाँच संस्था द्वारा एक नहर अपराध पंजिका **(परिशिष्ट–51)** अनुरक्षित की जाएगी जिसमें अपराधों से सम्बन्धित सूचना अंकित की जाएगी।

(3) नहर अपराध जाँच की प्रक्रिया– नहर अपराधों की जाँच करने में सक्षम जाँच संस्था द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी–

(क) कुलाबा समिति के कार्यक्षेत्र में किसी नहर अपराध के घटित होने पर अपराध की जाँच हेतु प्रकरण यथास्थिति अल्पिका समिति/फेडरेटेड अल्पिका समिति द्वारा अपनी जाँच उप–समिति को निर्धारित समय में जाँच करने तथा जाँच आख्या देने हेतु सन्दर्भित किया जाएगा;

(ख) अल्पिका समिति के कार्यक्षेत्र में किसी नहर अपराध के घटित होने पर अपराध की जाँच हेतु प्रकरण यथास्थिति रजवहा समिति/फेडरेटेड रजबहा समिति द्वारा अपनी जाँच उप–समिति को निर्धारित समय में जाँच करने अथवा जाँच आख्या देने हेतु सन्दर्भित किया जाएगा;

(ग) रजबहा समिति के कार्यक्षेत्र में किसी नहर अपराध के घटित होने पर अपराध की जाँच हेतु शाखा समिति द्वारा एक जाँच समिति का गठन किया जाएगा

जिसमें शाखा समिति के न्यूनतम तीन सदस्य होंगे। यह जाँच समिति प्रकरण की जाँच कर जाँच आख्या शाखा समिति को उपलब्ध कराएगी;

(घ) शाखा समिति के कार्यक्षेत्र में किसी नहर अपराध के घटित होने पर अपराध की जाँच सक्षम नहर अधिकारी द्वारा कराई जाएगी। जाँच अधिकारी का पद जिलेदार के पद से कम नहीं होगा;

(च) परियोजना समिति के कार्य–क्षेत्र में किसी नहर अपराध के घटित होने पर अपराध की जाँच हेतु प्रकरण सक्षम नहर अधिकारी द्वारा कराई जाएगी। जाँच अधिकारी का पद जिलेदार के पद से कम नहीं होगा;

(छ) जाँच उपसमिति द्वारा नहर अपराध घटित होने की सूचना जिलेदार के माध्यम से सम्बन्धित सक्षम नहर अधिकारी को उपलब्ध कराते हुए प्रकरण की जाँच की जाएगी। जाँच हेतु उपसमिति घटना स्थल पर जा कर वस्तुस्थिति की जानकारी लेगी तथा यथा–आवश्यक घटना स्थल के साक्ष्य तथा फोटोग्राफ आदि भी लेगी। सक्षम जाँच संस्था द्वारा जाँच कार्य अधिकतम दो सप्ताह में पूर्ण किया जाएगा। यदि सक्षम नहर अधिकारी का समाधान हो जाता है कि सक्षम जाँच संस्था अथवा जाँच उप समिति द्वारा जाँच के कार्य में जान–बूझकर विलम्ब किया जा रहा है तो सक्षम जाँच संस्था को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस पर अधिकतम 15 दिन में सन्तोषजनक जबाव न प्राप्त होन की दशा में जाँच संस्था के विरूद्ध अधिनियम का उल्लंघन किए जाने के लिए कार्यवाही की जा सकती है।

(ज) पारदर्शी जाँच के लिए उपसमिति द्वारा आरोपित व्यक्ति को सफाई पेश करने तथा प्रत्यक्षदर्शीगणों के बयान दर्ज करने हेतु नोटिस जारी किया जाएगा जिसका प्रारूप **परिशिष्टि–52** पर उपलब्ध है। किसी व्यक्ति द्वारा उप–समिति के समक्ष बयान दर्ज कराने हेतु उपस्थित न होने पर उपसमिति द्वारा पुलिस की सहायता से उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसका बयान ले सकती है। गिरफ्तारी हेतु उप–समिति द्वारा सी0आर0पी0सी0 की धारा 157 के अन्तर्गत वाँछित पुलिस की सहायता सक्षम नहर अधिकारी के माध्यम से प्राप्त की जा

सकती है। पुलिस सहायता प्राप्त करने की कार्यवाही **परिशिष्ट–53** पर दिए गए प्रपत्र के अनुसार की जा सकती है;

(झ) जिलेदार का यह दायित्व होगा कि अपराधों की जाँच सक्षम जाँच संस्था से कराएं तथा जाँच के कार्य में सक्षम जाँच संस्था की हर सम्भव सहायता करें। जिलेदार का यह भी दायित्व होगा कि वह जाँच आख्या तैयार करने में सक्षम जाँच संस्था की हर सम्भव सहायता करे। सींच पर्यवेक्षक एवं सींचपाल का यह दायित्व होगा कि जाँच उपसमिति के साथ समन्वय स्थापित कर जाँच शीघ्रतिशीघ्र पूर्ण कराएं एवं जाँच आख्या तैयार करवाए।

(ट) जाँच उप–समिति द्वारा प्रकरण की जाँच कर समस्त साक्ष्यों एवं अभिलेखों के साथ आख्या यथास्थित अल्पिका/ फेडरेटेड अल्पिका रजबहा/शाखा समिति के अध्यक्ष को प्रेषित करेगी;

(ठ) अध्यक्ष द्वारा प्रबन्धन समिति की सहमति से जाँच आख्या पर अन्तिम निर्णय लेते हुए अपराध के लिए दण्ड की कार्यवाही हेतु जाँच आख्या सम्बन्धित जिलेदार एवं सक्षम नहर अधिकारी को प्रेषित की जाएगी। जाँच आख्या थानाध्यक्ष को प्रेषित की जाती है। थानाध्यक्ष को जाँच आख्या **परिशिष्ट–54** पर दिए पत्र के साथ भेजी जाएगी;

(ड) यदि जाँच आख्या जिलेदार को प्रेषित की जाती है तो जिलेदार का यह दायित्व होगा कि सक्षम जाँच संस्था की जाँच के आधार पर मुकदमा स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट (नहर) की अदालत में दायर करे तथा पैरवी के लिए अमीन को नामित करे। जाँच आख्या में किसी प्रकार की त्रुटि या कमी पाए जाने पर जिलेदार द्वारा जाँच संस्था से कमियों को दूर करवाया जाएगा;

(ढ) स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा मुकदमें की कार्यवाही दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, 2009 एवं तत्धीन निर्मित नियमावली के अन्तर्गत की जाएगी;

(प) किसी जल उपभोक्ता समिति का अध्यक्ष, जिसके कार्यक्षेत्र में अपराध घटित हुआ है, द्वारा जाँच में असहयोग करने पर उसे भी अपराध हेतु अधिनियम की धारा– 34(6) के अन्तर्गत सह–अपराधी माना जाएगा।

94. **नहर अपराध हेतु दण्डः—**नहर अपराध हेतु मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्ध होने पर अपराधी को निम्नलिखित दण्ड दिया जा सकता हैः—

(1) अधिकतम छः माह का कारावास; अथवा

(2) क्षतिपूर्ति की सीमा तक जो न्यूनतम रू0 एक हजार होगी; अथवा

(3) उक्त दोनों

(4) यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपराध की पुनरावृत्ति की जाए तो कम से कम रु0 1000 का अतिरिक्त दण्ड लगाया जाएगा।

95. **नहर अपराध का प्रशमनः—**जल उपभोक्ता समिति द्वारा नहर अपराधों का प्रशमन (मॉफी) निम्नानुसार की जा सकती हैः—

(1) नहर अपराध की जाँच के उपरांत किसी व्यक्ति/सोसाइटी/कम्पनी के दोषी पाए जाने पर सक्षम जाँच संस्था द्वारा दोषी व्यक्ति की प्रार्थना पर निर्धारित प्रशमन शुल्क (क्षतिपूर्ति) प्राप्त कर माफ कर सकती है। परन्तु शर्त यह होगी कि—

- प्रशमन शुल्क निर्धारित दण्ड (जो न्यूनतम एक हजार होगा) से कम नहीं होगा;
- माफ अधिकतम दो बार ही किया जा सकता है।

(2) अपराध हेतु अदालत द्वारा मुकदमें की कार्यवाही से पूर्व किसी भी स्तर पर प्रशमन शुल्क आरोपित कर दोषी को सक्षम जाँच संस्था द्वारा बरी किया जा सकता है।

(3) मुकदमा दायर होने तथा अदालत द्वारा निर्णय दिए जाने से पूर्व जाँच अभिकरण किसी भी समय प्रशमन शुल्क प्राप्त कर मुकदमा वापस ले सकता है।

(4) प्रशमन शुल्क की धनराशि जाँच अभिकरण द्वारा आरोपित जल उपभोक्ता समिति के समिति कोष में जमा की जाएगी।

96. **दण्ड के विरूद्ध अपील—**स्पेशल जुडीशियल मजिस्ट्रेट द्वारा नहर अपराध हेतु दिए गए दण्ड से व्यथित कोई व्यक्ति/संस्था दण्ड के विरूद्ध निर्णय की तिथि से अधिकतम 3 माह के अन्दर चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट (सी0जे0एम0) की अदालत में अपील कर सकता है।

अनाधिकृत जल उपयोग एवं जल बर्बादी पर दण्ड

97. अनाधिकृत जल उपयोगः—नहर से निम्नानुसार जल उपयोग करने को अनाधिकृत जल उपयोग की श्रेणी में रखा जाएगाः—

(1) नहर काटकर सिंचाई करना;

(2) अनाधिकृत कुलाबों से सिंचाई करना अथवा अधिकृत कुलाबे का दहन बढ़ाकर सिंचाई करना;

(3) नहर के उस भाग से डाल सिंचाई करना जहाँ पर तोड़ सिंचाई किए जाने का प्राविधान है (नहर में पाइप डालकर इंजन द्वारा पानी खींचना);

(4) नहर में बंधा के माध्यम से सप्लाई को पूर्ण सप्लाई स्तर से ऊपर कर सिंचाई करना;

(5) कुलाबा कमाण्ड से बाहर पानी ले जाकर सिंचाई करना;

(6) ओसराबन्दी के विरूद्ध सिंचाई करना;

(7) नहर अथवा कुलाबा पर लगी नियंत्रक संरचना/गेट को अनाधिकृत रूप से खोलकर सिंचाई करना;

(8) अन्य प्रकार से सिंचाई करना, जिसको सम्बन्धित जल उपभोक्ता समिति की सामान्य सभा के दो तिहाई बहुमत द्वारा अनाधिकृत घोषित किया गया हो।

98. अनाधिकृत जल उपयोगकर्ता :—अनाधिकृत जल उपयोगकर्ता निम्नवत् हो सकते हैंः—

(1) चिन्हित कृषक/व्यक्ति जिसके द्वारा अनाधिकृत सिंचाई की गई हो;

(2) यदि अनाधिकृत जल उपयोग करने वाले व्यक्ति/कृषक का चिन्हांकन नहीं हो पाता है और जिसकी/जिनकी भूमि/भूमियों पर जल उपयोग हुआ है उसके भू—स्वामी/भू—स्वामियों को अनाधिकृत जल उपयोगकर्ता माना जाएगा यदि —

- ऐसी भूमि/भूमियों को लाभ हुआ है;
- ऐसी भूमि/भूमियों को लाभ नहीं हुआ हो परन्तु सम्बन्धित भू—स्वामी/भू—स्वामियों द्वारा यथास्थित जल उपभोक्ता समिति अथवा सक्षम नहर अधिकारी को ससमय सूचित नहीं किया गया हो;

99. अनाधिकृत जल उपयोग पर दण्डः—

(1) प्रथम बार अनाधिकृत जल उपयोग पर जमाबन्दी में उल्लिखित जल शुल्क का कम से कम 10 गुना अर्थदण्ड लगाया जाएगा;

(2) किसी भी व्यक्ति/कृषक द्वारा एक से अधिक बार अनाधिकृत जल उपयोग करने पर जमाबन्दी में उल्लिखित जल शुल्क का 20 गुना अर्थदण्ड लगाया जाएगा;

(3) अनाधिकृत जल उपयोग करने वाले व्यक्ति पर सम्बन्धित जल उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष द्वारा प्रबन्धन समिति से सलाह–मशविरे के बाद अर्थदण्ड लगाया जाएगा। अनाधिकृत सिंचाई हेतु जुर्माना पर्ची **परिशिष्ट–55** पर जारी की जाएगी।

(4) अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति के अध्यक्ष द्वारा अनाधिकृत जल उपयोग पर लगाए गए अर्थदण्ड से व्यथित जल उपयोगकर्ता अपीलीय अधिकारी (अधिशासी अभियन्ता) को अपील कर सकता है। अपीलीय अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(5) इसी प्रकार नहर प्रणाली के किसी भी स्तर पर समिति के अध्यक्ष द्वारा अनाधिकृत जल उपयोग पर लगाए गए अर्थदण्ड से व्यथित जल उपयोगकर्ता उस स्तर हेतु नामित अपीलीय अधिकारी को अपील कर सकता है। अपीलीय अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(6) अनाधिकृत सिंचाई हेतु आयोजित दण्ड की वसूली का विवरण दण्ड वसूली पंजिका **(परिशिष्ट–56)** में समिति द्वारा रखा जाएगा।

100. जल की बर्बादी :–

(1) यदि किसी नहर या किसी वॉटर कोर्स (गूल) से जल की बर्बादी होती है तो इसकी जाँच सम्बन्धित अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति द्वारा अपनी जाँच उप समिति द्वारा कराई जाएगी। उप समिति की जाँच पर अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति की प्रबन्धन समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा;

(2) सक्षम नहर अधिकारी द्वारा जल की बर्बादी की जाँच करने हेतु सम्बन्धित अल्पिका/फेडरेटरेड अल्पिका समिति को निर्देशित किया जा सकता है;

(3) यदि जल उपभोक्ता समिति द्वारा जाँच के उपरान्त भी ऐसी व्यक्ति/व्यक्तियों, जिनके कारण जल बर्बाद हुआ है, को चिन्हांकित नहीं किया जा सकता है तो जल उपभोक्ता समिति द्वारा ऐसे समस्त व्यक्ति/व्यक्तियों पर दण्ड आरोपित किया जाएगा जो नहर से लाभान्वित होते हैं;

(4) जल बर्बादी हेतु दण्ड के दर की सीमा सम्बन्धित जल उपभोक्ता समितियों की सामान्य सभा द्वारा निर्धारित की जाएगी जो जमाबन्दी में उल्लिखित जल शुल्क का कम से कम 10 गुने से कम नहीं होनी चाहिए;

(5) जल बर्बादी के सम्बन्ध में जल उपभोक्ता समिति द्वारा लिए गए निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति अपीलीय अधिकारी को अपील कर सकता है। अपीलीय अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

101. अनाधिकृत जल उपयोग एवं जल बर्बादी पर लगाए गए दण्ड की वसूलीः–

(1) अनाधिकृत जल उपयोग एवं जल की बर्बादी पर लगाए गए दण्ड की वसूली सम्बन्धित जल उपभोक्ता समिति द्वारा की जाएगी;

(2) यदि किसी व्यक्ति द्वारा अनाधिकृत जल उपयोग अथवा जल बर्बादी हेतु लगाया गया दण्ड जल उपभोक्ता समिति को जमा नहीं किया जाता है तो ऐसे दण्ड को जमाबन्दी में समाहित किया जाएगा तथा उसकी धनराशि की वसूली जिलाधिकारी द्वारा भू–राजस्व की वसूली के समान की जाएगी।

102. अनाधिकृत जल उपयोग एवं जल बर्बादी की जाँच हेतु जिलेदार, सींच पर्यवेक्षक एवं सींचपाल के दायित्वः–

(1) अल्पिका से अनाधिकृत जल उपयोग अथवा जल की बर्बादी का संज्ञान होते ही जिलेदार, सींचपर्यवेक्षक एवं सींचपाल का यह दायित्व होगा कि अनाधिकृत जल उपयोग अथवा जल बर्बादी की सूचना अल्पिका समिति/फेडेरेटेड अल्पिका समिति को दे तथा दण्ड लगाने की प्रक्रिया में हर सम्भव सहयोग करे;

(2) रजबहा से अनाधिकृत जल उपयोग अथवा जल की बर्बादी का संज्ञान होते ही जिलेदार, सींचपर्यवेक्षक एवं सींचपाल का यह दायित्व होगा कि अनाधिकृत जल उपयोग/जल बर्बादी की सूचना रजबहा समिति को दे तथा दण्ड लगाने की प्रक्रिया में हर सम्भव सहयोग करे;

(3) शाखा से अनाधिकृत जल उपयोग अथवा जल की बर्बादी का संज्ञान होते ही जिलेदार, सींचपर्यवेक्षक एवं सींचपाल का यह दायित्व होगा कि अनाधिकृत जल उपयोर्ग जल बर्बादी की सूचना शाखा समिति को दें तथा दण्ड लगाने की प्रक्रिया में हर सम्भव सहयोग करे;

(4) किसी जल उपभोक्ता समिति के न हाने पर उसके कार्यवाही क्षेत्र में अनाधिकृत जल उपयोग अथवा जल की बर्बादी पर सक्षम नहर अधिकारी द्वारा अर्थदण्ड लगाया जाएगा इस दशा में जाँच की कार्यवाही तथा दण्ड आरोपित करने की कार्यवाही जिलेदार द्वारा करायी जाएगी;

(5) अनाधिकृत जल उपयोग तथा बर्बादी हेतु आरोपित दण्ड की वसूली करने में सम्बन्धित जल उपभोक्ता समिति के असमर्थ होने की दशा में आरोपित दण्ड को जमाबन्दी में समाहित किया जाएगा।